

समक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र. / / 2018 पुनःअवलोकन

PBR पुनःअवलोकन/भोपाल/स्टाम्प अधि/2018/1311

कृष्ण पुष्प बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स द्वारा भागीदार श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री किशन सिंह एवं उदय सिंह पुत्र श्री आर सिंह निवासी- एम.बी.-12 मानसरोवर कॉम्प्लैक्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल

2 मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री राजकुमार जैन, निवासी ए-2 जियो लाईफ अपार्टमेंट सतना म0 प्र0

....प्रार्थी

विरुद्ध

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प भोपाल

....प्रतिप्रार्थी .

पुनःअवलोकन आवेदन विरुद्ध आदेश प्र0 क्र0 7234 / पीबीआर / 2016 दिनांकी 13 / 11 / 2017 द्वारा पारित श्री मनोज गोयल, अध्यक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर

59

शिवजी कौशिक

दि. 12-2-18

राजस्व मण्डल, ग्वालियर



राजस्व मण्डल, ग्वालियर

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति.....
पृष्ठ क्र. 12/2/18
दिनांक 12/2/18
हस्ताक्षर व नाम, [Signature]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/पुनर्विलोकन/भोपाल/स्टा0अ0/2018/1311

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-3-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र जैन उपस्थित । उन्हें पुनर्विलोकन आवेदन पर सुना गया । इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 7234-पीबीआर/16 में पारित आदेश दिनांक 13-11-2017 का पुनर्विलोकन चाहा गया है जिसका अवलोकन किया गया । विचारोपरांत इस न्यायालय द्वारा स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत निगरानी में आदेशपारित किया गया है एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश के पुनर्विलोकन का प्रावधान नहीं होने से यह पुनर्विलोकन अग्राह्य किया जाता है ।</p>	<p> अध्यक्ष </p>